कार्यालय : मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाईन्स, मथुरा

दिनांक : 11/8/17

संख्या : 73/वी/10–11/म.वृ.वि.प्रा./2017–18

श्री दीपक गुप्ता,
डायरेक्टर, हाईटेक बिल्डकॉन प्रा0लि0
ख0स0 812, 813, 814, 817 व 818,
मौजा सुनरख बांगर, वृन्दावन, जिला मथुरा

विषय : मानचित्र संख्या 73/वी/10–11 की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

आपके द्वारा ख0स0 812, 813, 814, 817 व 818, मौजा सुनरख बांगर, वृन्दावन, जिला मथुरा पर पूर्व स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र सं0 73/वी/10–11 के संशोधित मानचित्र आवेदन पर स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 11.08.2017 को निम्न शर्तो के साथ प्रदान की गयी है–

शर्तें एवं उपबन्ध–

1. आवेदक को लेबर सेस हेतु रु. 7,30,666.00 (रुपये सात लाख तीस हजार छह सौ छियासठ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट "उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" के पक्ष में जमा कराना होगा। अवशेष धनराशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं होगा।
2. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। किसी प्रकार का वाद–विवाद होने पर दी गयी मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करने हेतु रु. 4.00 लाख की एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी. प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखनी होगी तथा इस आशय का शपथ–पत्र भी देना होगा कि यदि नियमानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान उनके द्वारा नहीं किया जाता है, तो उक्त एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी. प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
4. सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र का प्राविधान करने हेतु रु. 3.00 लाख की एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी. प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखनी होगी तथा इस आशय का शपथ–पत्र भी देना होगा कि यदि नियमानुसार सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र का प्राविधान उनके द्वारा नहीं किया जाता है, तो उक्त एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी. प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
5. वृक्षारोपण भवन उपविधि के अनुसार करना होगा।
6. मानचित्र निर्गत होने से पूर्व अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
7. प्रस्तावित निर्माण में भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए नियोजित एवं अभिकल्पित व्यवस्था के साथ प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
8. समस्त निर्माण सामग्री अपनी भूमि पर ही रखनी होगी। किसी सार्वजनिक सड़क/भूमि/मार्ग पर नहीं रखनी होगी।
9. रोड वाइडनिंग हेतु छोड़ी गयी भूमि का विकासकर्ता को अपनी लागत पर स्वयं विकास करना होगा एवं इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि रोड वाइडनिंग की भूमि को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखना आवेदक/विकासकर्ता का दायित्व होगा।
10. स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में श्रम विभाग के नियमों/शासनादेशों का पालन करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
11. आवेदक द्वारा किसी भी भवन को विक्रय न किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत शपथ–पत्र सम्बन्धी समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। किसी भी तथ्य के असत्य होने की स्थिति में मानचित्र स्वतः ही निरस्त मान्य होगा।
12. भवन को उपयोग में लाने से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त के क्रम में लेबर सेस हेतु रु. 7,30,666.00 (रुपये सात लाख तीस हजार छह सौ छियासठ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट "उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" के पक्ष में जमा कराने एवं उपरोक्त आवश्यक शर्तो को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तत्क्रम में ही स्वीकृत संशोधित मानचित्र की प्रति निर्गत करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

11/08/17

सचिव,
म0वृ0वि0प्रा0, मथुरा